

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
योजना और समन्वय निदेशालय
5वां तल, सी - ब्लॉक
रक्षा कार्यालय परिसर
के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001

21 मई 2026

सेवा में,

इस रिक्ति परिपत्र के पृष्ठ 4 पर दी गई वितरण सूची के अनुसार

**योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में
प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स -प्रणाली) की नियुक्ति**

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (ईएस) (पे लेवल -13 के अनुसार) का 01 (एक) पद रिक्त हुआ है। उक्त पद को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है।

2. योजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स -प्रणाली) का कार्य विनिर्देशन

- (क) देश में समग्र रूप से रक्षा मदों के लिए प्रासंगिक विभिन्न उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और उत्पादन क्षमताओं की संभावित उपलब्धता की अद्यतन तस्वीर प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के साथ-साथ सरकार के अन्य मंत्रालयों में इलेक्ट्रॉनिक और संचार, रडार और उपग्रह प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना।
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के क्षेत्र में तकनीकी मूल्यांकन करना, प्रौद्योगिकी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है और विभिन्न उप-प्रणालियों में अत्याधुनिक स्थिति के बारे में अद्यतन करना।
- (ग) रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) का प्रतिनिधित्व करना और 'मेक' केस में तकनीकी सहायता करना।
- (घ) सर्विस मुख्यालय द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रस्तावों की गुणात्मक आवश्यकता का तकनीकी मूल्यांकन करना, वर्गीकरण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियों के निर्माण के लिए विभाग को प्रस्तावों पर सलाह देना। साथ ही रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिवीजन से संबंधित तकनीकी सहायता कार्य, वर्गीकरण और 'मेक' प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे।

(च) परियोजनाओं की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी), तकनीकी ऑफसेट मूल्यांकन समिति (टीओईसी), सिंगल स्टेज कंपोजिट ट्रेल्स (एसएससीटी) और अनुबंध वार्ता समिति (सीएनसी) में रक्षा उत्पादन विभाग (डी.डी.पी) का प्रतिनिधित्व करना।

(छ) 'मेक' परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/एकीकृत परियोजना विनिर्माण टीम (आईपीएमटी) में रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) का प्रतिनिधित्व करना।

(ज) परियोजनाओं की प्रगति जो डिजीजन की जिम्मेदारी है। उत्पादन क्षमता, कच्चे माल, मध्यवर्ती और रक्षा कारखानों में अंतिम उत्पादों की आवश्यकता का विश्लेषण।

(झ) जनशक्ति, वित्त और उत्पादन संगठनों (डीपीएसयू) की परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को संसाधित करना और परियोजना प्रबंधन बोर्ड की बैठक का आयोजन करना।

(ट) अनुबंध के दायरे में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण जिसमें तकनीक रखरखाव हस्तांतरण के रखरखाव हस्तांतरण शामिल है।

(ठ) इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के उत्पादन रखरखाव में शामिल अनुसंधान एवं विकास संगठनों और उत्पादनों के साथ धनिष्ठ बातचीत।

3. आवश्यक/वांछनीय योग्यता

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन /इलेक्ट्रिकल में बी ई /बी. टेक

या

(ख) अधिकारी भारतीय सेना के सिग्नल/ईएमई कोर और अन्य सर्विसेज में समकक्ष निदेशालय से होना चाहिए।

4. प्रक्रिया/पात्रता:

पीएसयू के कर्मचारियों/सेवारत सरकारी अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण निम्नानुसार :-

(i) अखिल भारतीय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारी या केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' में समतुल्य पदों पर आसीन अधिकारी।

या

(ii) डीआरडीओ/थल सेना/वायु सेना/नौसेना में अनुरूप पदों पर आसीन अधिकारी।

या

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से समतुल्य पदों पर अधिकारियों की अल्पकालिक अनुबंध पर नियुक्ति।

(iv) भारतीय सेना /नौसेना /वायु सेना में क्रमशः कर्नल/कैप्टेन/ग्रुप कैप्टेन के वास्तविक पद पर कार्यरत सेवारत सर्विस अफसर।

5. प्रतिनियुक्ति की शर्तें :

(क) प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि की गणना करते समय, इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन मौजूदा सरकारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर सेवा अधिकारी चयन के मामले में अपने संबंधित सीडीए से अपना वेतन और भत्ता प्राप्त करना जारी रखेंगे।


6. आवेदन कैसे करें:

संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुशंसित संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार आवेदन और पात्र / इच्छुक अधिकारी के पिछले 5 वर्षों के एसीआर / एपीएआर की एसीआर डोजियर / प्रमाणित प्रतियां, जिन्हें पूर्ण कार्यकाल के लिए उनके चयन की स्थिति में छोड़ा जा सकता है, इस परिपत्र के जारी होने के तारीख से 45 दिनों के भीतर संयुक्त निदेशक (प्रशासन और समन्वय), योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 501, सी ब्लॉक, रक्षा कार्यालय परिसर, के जी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 तक भेज दी जाए। जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की मंजूरी नहीं होगी और इसके अनुसार एक वचन देनी होगी।

7. आवेदन केवल अटैच किए गए प्रोफार्मा के अनुसार ही भेजा जाए। सेवारत अधिकारी के संबंध में सेवा का रिकॉर्ड जहाँ भी जरूरी समझा जाए, जमा किया जा सकता है।

8. प्रशासनिक प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं और अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक / सतर्कता मामला लंबित / विचाराधीन नहीं है।

9. सभी पत्रचारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करें। सर्विस मुख्यालयों के साथ-साथ डीओओ (सी एंड एस) से भी अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड / विज्ञापित करें। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट www.ddpmod.gov.in पर 'रक्तियां और परिपत्र' शीर्षक के अंतर्गत "योजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स -प्रणाली) के लिए रक्तियां और परिपत्र, योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के साथ अपलोड किया जाए।



(ए के सिंह)

संयुक्त निदेशक

(प्रशासन और समन्वय)

वितरण सूची

1. रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना)
एम एम शाखा/एस एस - 3 बी
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. विंग कमांडर पी ओ - 1 (आंतरिक प्रतिनियुक्ति)
कमरा सं. 328(सी), वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन
3. नौसेना मुख्यालय/डीओपी,
'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-11
4. निदेशक 'जी'
डी ओ ओ (सी एंड एस)
के जी मार्ग, नई दिल्ली-01
5. आई डी एस मुख्यालय,
कश्मीर हाउस, नई दिल्ली -110011
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से)
7. डी आर डी ओ (निदेशक/कार्मिक), डी आर डी ओ भवन
8. डी जी क्यू ए/प्रशासन-4, नई दिल्ली-11
9. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी:-
 - (i) अवर सचिव, सीएस-1 प्रभाग
डी ओ पी टी, द्वितीय तल
लोकनायक भवन, नई दिल्ली
 - (ii) निदेशक (ई), 'बी' विंग, सेना भवन
 - (iii) पी-1, संयुक्त सचिव व मुप्रअ का कार्यालय, नई दिल्ली
10. सभी डी पी एस यू
11. एनआईसी (रक्षा) समन्वय - योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली) की नियुक्ति संबंधी पत्र को रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आपको ई-मेल किया जा रहा है।

बायोडाटा प्रोफार्मा

योजना अधिकारी (ईएस) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम एवं पता:
2. जन्मतिथि:
3. केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:
4. शैक्षिक अर्हता:
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता पूरी हो रही हैं:
(यदि कोई अर्हता नियमों में वर्णित अर्हता के समतुल्य मानी जा रही है तो उसके लिए प्रधिकार प्रस्तुत करें)

अपेक्षित अर्हता/अनुभव

अधिकारी द्वारा अर्जित अर्हता/अनुभव

अनिवार्य : (क)

(ख)

(ग)

वांछनीय: (क)

(ख)

6. पद से संबंधित अनुभव का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 100 शब्दों में)
7. कृपया स्पष्टतः यह बताएं कि आप इस पद की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं:
(आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)
8. सेवायोजन का विवरण, कालानुक्रम में:
(नीचे दी गई जगह कम होने की दशा में, सूचना एक अन्य शीट में स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित कर लगाएं)

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन स्केल एवं मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

9. वर्तमान सेवा की प्रकृति :
(तदर्थ/अस्थायी/अर्द्ध-सरकारी/स्थायी)
10. यदि वर्तमान सेवायोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो, कृपया बताएं:
क) आरम्भिक नियुक्ति की तारीख
ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति का काल
ग) मूल कैडर/संगठन का नाम
11. वर्तमान सेवायोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण कृपया बताएं कि क्या आप निम्न के अंतर्गत काम कर रहे हैं :
क) केंद्र सरकार
ख) राज्य सरकार
ग) स्वायत्त संगठन
घ) सरकारी उपक्रम
ङ) विश्वविद्यालय
12. क्या आप पुनर्निर्धारित वेतनमान पर हैं? यदि हां तो वह दिनांक बताएं जब से पुनर्निर्धारण हुआ एवं यह भी बताएं कि पुनर्निर्धारित वेतन क्या था:
13. वर्तमान में प्रतिमाह परिलब्धियां:
14. पद के लिए उपयुक्तता के समर्थन यदि कोई अन्य अतिरिक्त सूचना जो आप देना चाहते हैं : यदि यहां दी गई जगह कम है तो एक पृथक शीट पर विवरण लिखकर संलग्न करें।
15. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं:
16. टिप्पणी:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता

मोबाइल नंबर

दिनांक:

सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र और दंड के संबंध में घोषणा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती / कर्नल / कैप्टेन(भा. नौ.) /
ग्रुप कैप्टेन की ईमानदारी संदेह से परे है।

2. अधिकारी को पिछले दस वर्षों में उसकी सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की
चूक के लिए दंडित नहीं किया गया है।

या

अधिकारी को (अवधि) के दौरान (अपराध की प्रकृति) के लिए जुर्माना (जुर्माना
की प्रकृति) लगाया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी)